भारत में ग्लोबलाइज़ेशन एवं साइबर क्राइम

डॉ. लोकेश पारगी *श्री गोविंद गुरु स्नातकोतर महाविद्यालय बांसवाड़ा (राज.)*

ग्लोबलाइज़ेशन - ग्लोबलाइज़ेशन अर्थात भूमंडलीकरण से तात्पर्य है- अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश के लिए अवरोधों को हटाना। ग्लोबलाइज़ेशन इस धारणा पर आधारित है कि ज्यादातर व्यापार सभी पक्षों के हित में हो। ग्लोबलाइज़ेशन का एक महत्वपूर्ण आधार हैं- सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जिसके बिना ग्लोबलाइज़ेशन की धारणा अधूरी है सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बदल डाला है। संचार प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। संवाद एवं संचार निकटता से विश्व को अब ग्लोबल विलेज के नाम से संबोधित किया जाने लगा है। उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में तो तकनीकी का प्रचुर उपयोग हो रहा है। बड़े एवं मध्यम उद्योगों वहाँ व्यापार के बाद अब स्थानीय कृषि क्षेत्र को भी ग्लोबलाइज़ेशन ने प्रभावित किया है। इसी से कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता को बल मिलने के साथ विपणन तंत्र में किसान की निर्णायक भूमिका का मार्ग प्रशस्त होगा साथ ही जागरुक किसान की कृषि जगत के विश्व बाजार की समझ भी विकसित होगी इन महत्व के साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी में नई अपराध भी इसके समांतर बढ़ रहे हैं, जो पूरे विश्व में लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं, इसलिए इन्हें साइबर क्राइम का नाम दिया गया है।

साइबर क्राइम - सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण उपकरण कंप्यूटर द्वारा होने वाली सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं व्यापारिक लेन-देन में होने वाले अपराध को साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा सूचनाओं के आदान-प्रदान विशेष रूप से ई-मेल एवं ई -व्यापार के दुरुपयोग से संबंधित है। यह अपराध केवल भारत में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है। साइबर क्राइम का संबंध सूचनाओं का किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग से भी हैं।

साइबर क्राइम के प्रमुख प्रकार

साइबर क्राइम विश्व के सामने चुनौती के रूप में खड़ा है, जिसके मुख्य प्रकार हैं-

- पहचान चोरी और गोपनीयता पर आक्रमण
- इंटरनेट धोखाधड़ी
- एटीएम धोखाधड़ी
- फाइल साझेदारी एवं पाइरेसी
- जालसाजी
- बच्चों को अश्लील साहित्य

- हैंकिंग
- कंप्यूटर वायरस
- सेवा हमलों का इनकार
- स्पेम

उपरोक्त साइबर अपराधियों को हम तीन मुख्य भागों में बाँट सकते हैं-

1. कंप्यूटर आधारित प्रलेखों के साथ हेरा-फेरी इस प्रकार की फाइबर क्राइम में कोई व्यक्ति सचेत रूप से जानबूझकर कंप्यूटर में प्रयुक्त गुप्त कोड कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम अथवा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ हेरा-फेरी या रद्दोबदल करता है या इनको नुकसान पहुँचाने का प्रयास करता है।

2. कंप्यूटर सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेना इस प्रकार की साइबर अपराध में कोई व्यक्ति किसी सरकारी वेबसाइट अथवा कंप्यूटर सिस्टम को जानबूझकर किसी माध्यम से अपने नियंत्रण में ले लेता है तथा उससे सुरक्षित सूचनाओं के साथ हेर-फेर करता हैं अथवा उन्हें समाप्त करने का प्रयास करता है।

3. अश्लील सामग्री का प्रकाशन इस प्रकार की साइबर क्राइम में व्यक्ति ऐसी अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचालित करता है, जिसका देखने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे ऐसी सामग्री को दर्शकों को दिखाकर पढ़ा कर अथवा अश्लील बातों को सुना कर कानून द्वारा इस संदर्भ में लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ने का प्रयास करते हैं।

भारत में साइबर क्राइम की रोकथाम के उपाय एवं कानून

भारत सरकार में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए जरूरी है। कानूनी एवं प्रशासनिक ढाँचा प्रदान करता है। पहले यह अधिनियम 16 दिसंबर 1999 को लोकसभा में पेश किया गया था, परंतु इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका इसे कुछ संशोधनों के साथ 16 मई 2000 को पुनः लोकसभा में पेश किया गया, जिससे पारित कर दिया गया तथा 17 मई 2000 को इस अधिनियम को राज्यसभा में स्वीकृति प्रदान की गई तथा 9 जून 2000 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलते ही यह दुनिया देश में लागू हो गया एक और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम डिजिटल हस्ताक्षर के इलेक्ट्रॉनिक प्राधिकरण के लिए महत्वपूर्ण ढाँचा प्रस्तुत करता है तो दूसरी और यह लोगों में विश्वास पैदा करता है कि साइबर जगत में धोखाधड़ी करने पर संबंधित व्यक्ति को सजा भी दी जाएगी। इस अधिनियम के अमल के लिए स्थापित सत्यापन प्राधिकरण नियंत्रण में राष्ट्रीय राजा तैयार किया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के पारित होने के साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता मिल गई है तथा सरकारी प्रलेखों में सरकारी अभिकरण इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत साइबर क्राइम से पीड़ित पक्ष द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करने हेतु केंद्र सरकार ने साबर अपील ट्रिब्यूनल की स्थापना की है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी इस प्रकार के अपराध में लिप्त व्यक्तियों को बिना संबंध के गिरता करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। कोई भी उप पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी किसी भी सरकारी या निजी संस्थान पर इस अपराध से संबंधित तलाशी ले सकता है तथा यदि उसे किसी प्रकार के

साक्ष्य मिलते हैं तो संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे दोषियों को अपराधी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य बनाया गया है।

साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु कुछ सुझाव

(1) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों की कमियों को दूर कर इसे पूरी तरह से लागू करना चाहिए।

(2) साइबर क्राइम से संबंधित मामलों की सुनवाई शीघ्र होनी चाहिए तथा दोषियों को तुरंत कठोर सजा देनी चाहिए।

(3) साइबर सेल से संबंधित पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा कर उन्हें अधिक संसाधन सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

(4) जिला स्तर पर प्रत्येक साइबर सेल में IT विशेषज्ञ की भी नियुक्ति की जानी चाहिए।

(5) ई- वाणिज्य को अधिक सरल व सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए।

(6) जनसाधारण में साइबर क्राइम व इसके कानूनों के प्रति प्रचार- प्रसार किया जाना चाहिए, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक विशेष अभियान चलाया जा सकता है।

(7) जनसाधारण में ई- व्यापार के लिए विश्वास पैदा किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मेहता, मीठालाल. (2010) ई तकनीकी एवं कृषि विकास. पुणे : शरद कृषि फरवरी सीटा.
2. सचदेव, अनिल (2007). सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000. जोधपुर : राजस्थान लॉ हाउस.
3. क्राइम इन इंडिया 2005, 2006, 2007, 2008 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नई दिल्ली।
4. सिंह, तेज, डॉ मिश्रा, प्रीति बाला. (2009). डॉक्टर के सवाल. डिस्टेंस किंग साइबर क्राइम सोशल पर्सपेक्टिव इंडियन पुलिस जर्नल अक्टूबर-दिसंबर 2009 BPRD नई दिल्ली।

लेखक परिचय

डॉ. लोकेश पारगी
(ICSSR, Fellow. नई दिल्ली)
श्री गोविंद गुरु स्नातकोतर महाविद्यालय बांसवाड़ा (राज.)